भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BY 391672

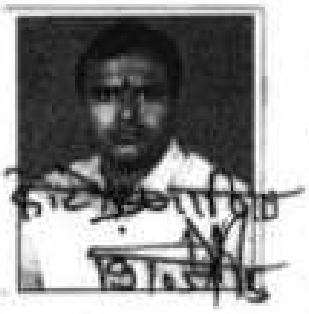

चौ. राम सिंह यादव एजूकेशनल ट्रस्ट का ट्रस्ट डीड

यह ट्रस्ट डीड श्री अभिलाख सिंह पुत्र श्री राम सिंह निवासी ग्राम– पृथ्वीपुर, पोस्ट–किशनी, जनपद–मैनपुरी ने जो कि इस ट्रस्ट के गठनकर्ता है द्वारा आज दिनांक 19.05.2015 को तैयार करके प्रस्तुत की गई।

इस ट्रस्ट के गठनकर्ता **अभिलाख सिंह** इसका निर्माण इस उद्देश्य से कर रहे है कि शैक्षणिक एवं सामाजिक उत्थान एवं विकास के क्षेत्र मे इस ट्रस्ट के माध्यम से सकारात्मक भूमिका का निर्वाह किया जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु गठनकर्ता द्वारा ट्रस्ट की परिस्थिति के रुप मे रुपया 10000/– (रुपया दस हजार) एकत्रित किया है।

ट्रस्ट की नियमावली निम्नवत् है–

1– ट्रस्ट का नाम — चौ० राम सिंह यादव एजूकेशनल ट्रस्ट

2– ट्रस्ट का प्रधान कार्यालय — ग्राम– पृथ्वीपुर, पोस्ट किशनी, जनपद मैनपुरी

3– ट्रस्ट के उद्देश्य निम्नांकित होंगे:–

1. स्कूलों, कालेजो एवं अन्य सभी प्रकार की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना। ये संस्थायें भारतीय संघ मे किसी भी स्थान पर स्थापित की जा सकेंगी। जिनमें बिना किसी भेदभाव के सभी समुदायो के विद्यार्थियो को शिक्षा दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BY 391673

2. शिक्षा के प्रचार प्रसार एवं विभिन्न प्रकार के तकनीकि पर आधारित शिक्षण एवं प्रशिक्षित हेतु शिक्षण संस्थाओं का प्रबंधन करना एवं सहयोग प्रदान करना।
3. नर्सरी, प्राइमरी, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं महाविद्यालय स्तरीय वाणिज्यि, औद्योगिक, तकनीकी, व्यवसायिक, चिकित्सीय एवं अन्य सभी प्रकार की शिक्षा प्रदान करने हेतु आवश्यक संसाधन जुटाना तथा उनका समुचित प्रबंध करना।
4. आवश्यकतानुसार प्रत्येक स्तर के शिक्षण संस्थायें स्कूल, कॉलेज, आदि संचालित करना एवं उनका प्रबंधन करना।
5. छात्रों को उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अच्छे शिक्षक तैयार करने हेतु शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना एवं उनका उचित प्रबंधन करना।
6. प्रौढ़ शिक्षा के विस्तार हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम संचालित करना।
7. स्कूली बच्चों, छात्रों एवं समाज के विभिन्न वर्गों के प्रेरणादायक प्रसंगों से अवगत कराने एवं उनके नैतिक, सामाजिक व मानसिक स्तर को ऊँचा उठानें के उद्देश्य से बैठकों, भाषणों, मालाओं, वाद–विवाद, प्रतियोगिताओं, सेमीनारों, सभाओं अन्य प्रतियोगिताओं, अध्ययन एवं शोध कार्यों, खेलकूद, दर्शनीय एवं पर्यटन स्थलों के भ्रमण कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों, ऑडियो–वीडियो, सिनेमा प्रदर्शन कार्यक्रम आदि का आयोजन करना।
8. जन सामान्य के ज्ञान एवं बौद्धिक स्तर को ऊँचा उठाने के उद्देश्य से लाइब्रेरी, म्यूजियम व रीडिंग रुम आदि की स्थापना करना एवं उनमें जनपयोगी पठन पाठन व अन्य सामग्री उपलब्ध करना।
9. प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्तियों, पारितोषक एवं निःशुल्क पुस्तकें, आदि उपलब्ध कराना एवं उनकी विकास के समुचित साधन उपलब्ध करना।
10. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यकतानुसार दान अनुदान, सदस्यता शुल्क आदि ट्रस्ट के सदस्यों एवं अन्य व्यक्तियों व संस्थाओं से प्राप्त करना एवं

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BY 391674

विभिन्न कम्पनियों, फर्मों, के सदस्यों एवं अन्य व्यक्तियों व संस्थाओं से निर्धारित शर्तों पर ट्रस्ट के पक्ष में ऋण व पूंजी निवेश करना एवं ट्रस्ट की ओर से आवश्यक होने पर उक्त संस्थाओं में पूंजी करना।

11. समय समय पर प्राकृतिक एवं दैवीय आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सामग्री जैसे भोजन, कपड़े, दवायें अस्थायी एवं स्थाई भवन आदि उपलब्ध कराना।
12. विकलांगों, अंग भंग, व शारीरिक व मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को चिकित्सा एवं अन्य प्रकार की वांछित सहायता उपलब्ध कराना।
13. गरीब वर्ग के व्यक्तियों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण हेतु कार्यक्रम चलाना एवं उनकी पुत्रियों की शादियों में आवश्यकतानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।
14. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराना एवं अनुत्पादक भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु विकास परियोजनायें चलाना।
15. धर्मार्थ अस्पतालों, नर्सिंग होम, चिकित्सा सेवा केंद्र, वृद्धावस्था केंद्र आवास गृहों की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना।
16. छात्रावासों एवं बोर्डिंग हाउसों की स्थापना करना व नौजवानों के शारीरिक विकास हेतु खेल के मैदानों का निर्माण करना तथा उन्हें खेलकूद व्यायाम हेतु आवश्यक उपकरण एवं सामग्री उपलब्ध कराना।
17. जन सामान्य की धार्मिक एवं आध्यात्मिक गतिविधियों को उचित दिशा में बढ़ावा देना एवं आध्यात्मिक शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना।
18. लघु उद्योगों एवं हस्तशिल्प को विकसित करना।
19. गरीब वर्ग जनता की सुविधा के लिए विवाह भवनों की देश के किसी भी भाग में स्थापना करना।
20. समाज के अक्षम व्यक्तियों/परिवारों को समय समय पर आवश्यकतानुसार आवास, भोजन सामग्री एवं वस्त्र आदि निःशुल्क अथवा नोमिनल मूल्य पर उपलब्ध कराना।
21. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भूमि, भवन, स्कूल, कॉलेज, एवं अन्य शिक्षण संस्थाओं हेतु सभी प्रकार की चल अचल सम्पत्ति को क्रय करना, विक्रय करना, अधिग्रहीत करना, बंधक करना अथवा किसी विधि मान्य प्रकार से उस पर कब्जा करना।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BY 391675

22. सामाजिक/सांस्कृतिक उत्सवों एवं राष्ट्रीय पर्वों व महापुरुषों की जयंती आदि कार्यक्रम को आयोजित करना एवं उनके आयोजन में सहयोग करना। यदि ट्रस्ट अथवा उसके ट्रस्टीगण द्वारा उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु किसी अन्य ट्रस्ट, सोसाइटी अथवा परियोजना को अंशदान या आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है तो इस कार्य को भी ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया कार्य ही माना जाएगा।
23. ट्रस्ट के सुचारु प्रबंधन एवं कार्य संचालन हेतु देश के किसी भी भाग में क्षेत्रीय कार्यालय/विश्राम गृहों आदि की स्थापना करना।
24. पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने हेतु संसाधन जुटाना।

ट्रस्ट के ट्रस्टीगण–

ट्रस्टी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	आयु
1. श्री अभिलाख सिंह	श्री राम सिंह	ग्राम– पृथ्वीपुर पो० किशनी, जनपद मैनपुरी	31 वर्ष
2. श्रीमती प्रियंका यादव	श्री अभिलाख सिंह	ग्राम– पृथ्वीपुर पो० किशनी, जनपद मैनपुरी	30 वर्ष
3. श्रीमती पुष्पा देवी	श्री राम सिंह	ग्राम– पृथ्वीपुर पो० किशनी, जनपद मैनपुरी	56 वर्ष
4 श्री राम सिंह	श्री गोवर्धन लाल	ग्राम– पृथ्वीपुर पो० किशनी, जनपद मैनपुरी	60 वर्ष

क– अभिलाख सिंह ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी होंगें व श्रीमती प्रियंका यादव ट्रस्ट की ज्वाइंट मैनेजिंग ट्रस्टी होंगें तथा ये दोनों अपने अपने पदों पर आजीवन बने रहेंगे, जब तक कि इनमें से कोई स्वेच्छा से अपना पद त्याग नहीं करता है। यदि आकस्मिक रुप से अथवा स्वेच्छा से पद त्याग करने पर मैनेजिंग ट्रस्टी का पद रिक्त होता है तो ज्वाइंट मैनेजिंग ट्रस्टी स्वतः मैनेजिंग ट्रस्टी का रिक्त पद ग्रहण कर लेगा तथा यदि ज्वाइंट मैनेजिंग ट्रस्टी का पद रिक्त होता है तो शेष ट्रस्टीगण अपने में से मैनेजिंग ट्रस्टी/ज्वाइंट ट्रस्टी को को –ओप्ट कर लेगें।

ग– यदि ट्रस्ट के सुचारु प्रबंधन एवं कार्य संचालन में कोई ट्रस्टी किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता हुआ प्रतीत होता है तो मैनेजिंग ट्रस्टी एवं ज्वाइंट मैनेजिंग ट्रस्टी को यह अधिकार होगा कि वह दोनों सामूहिक निर्णय लेकर उस ट्रस्टी को बगैर नोटिस दिए ट्रस्ट की सदस्यता से निष्कासित कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BY 391676

ध– मैनेजिंग ट्रस्टी एवं ज्वाइंट मैनेजिंग ट्रस्टी अपनी इच्छा से किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो सकें, ट्रस्ट का ट्रस्टी को आप्ट कर सकेंगे।

घ– ट्रस्ट के समस्त ट्रस्टीगण की अधिकतम संख्या आठ से अधिक नहीं होगी।

प्रबंधन–

अ– ट्रस्ट के प्रबंधन एवं नियंत्रण के पूर्ण अधिकार इसके ट्रस्टीगण में निहित होंगे ट्रस्टीगण को ट्रस्ट की ओर से चल व अचल सम्पत्ति क्रय व विक्रय करने, ट्रस्ट के स्वामित्व की सम्पत्ति पर कब्जा प्राप्त करने एवं कब्जा प्रदान करने, शिक्षण संस्थाओं के लिए व ट्रस्ट के लिए उपयोगी भवनों का निर्माण कराने, ट्रस्ट के हक में फण्ड, चल व अचल सम्पत्ति एवं पूंजी निवेश की आवश्यकतानुसार व्यवस्था करने का पूर्ण अधिकार होगा।

ट्रस्टीगण का यह भी वैधानिक अधिकार होगा कि वे समय समय पर ट्रस्ट के सुचारु प्रबंधन एवं प्रशासन हेतु आवश्यकतानुसार ट्रस्ट के नियमों व उपनियमों में परिवर्तन अथवा संशोधन करें अथवा नये नियमों/उपनियमों का निर्माण करें। प्रतिबंध यह है कि ऐसे नियम व उपनियम आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 (15) 11 से 13 एवं 80– जी के प्रावधानों के विपरीत न हो।

ब– ट्रस्ट के सुचारु प्रबंधन, आय व्यय पर विचार करने एवं अन्य सभी प्रकार के मामलों के निस्तारण हेतु ट्रस्टीगण की अधिक से अधिक बैठकें आयोजित की जावेगी परंतु प्रतिबंध यह है कि एक वर्ष में कम से कम तीन बैठक अवश्य आयोजित की जायेंगी।

स– ट्रस्ट की बैठकों का कोरम कम से कम तीन सदस्यों की उपस्थिति से पूर्ण होगा।

द– ट्रस्टीगण की सभी बैठकों की अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा मैनेजिंग ट्रस्टी की अनुपस्थिति में ज्वाइंट मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा की जायगी। मैनेजिंग व ज्वाइंट मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा अध्यक्षता की जायेगी। बैठकों में सभी निर्णय बहुमत के आधार पर होंगे तथा मतों की बराबरी की स्थिति में अध्यक्ष द्वारा निर्णायक मत का प्रयोग किया जावेगा।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BY 391677

ध– बैठक की समस्त कार्यवाही इसके लिए निर्धारित कार्यवाही पुस्तिका में अंकित की जायेगी।

द– ट्रस्ट के आजीवन ट्रस्टीगण के अतिरिक्त अन्य ट्रस्टीगण में जो ट्रस्टी तीन लगातार बैठकों में बिना कोई उचित कारण बताये तथा बिना पूर्व सूचना दिए अनुपस्थित रहेंगे उनकी ट्रस्टी के रूप में सदस्यता समाप्त हो जाएगी। परंतु अन्य ट्रस्टीगण किसी उचित एवं विधि मान्य कारण के आधार पर ऐसे ट्रस्टी को उक्त प्रतिबंध से मुक्त कर सकते हैं।

ल– ट्रस्ट के प्रबंधन एवं प्रशासनिक मामलों पर ट्रस्टीगण में मत विभिन्नता होने की स्थिति में बहुमत का निर्णय मान्य होगा तथा यह सभी ट्रस्टीगण के लिए अनिवार्यतः स्वीकार्य होगा।

ट्रस्टीगण के अधिकार–

1. ट्रस्ट के फण्ड का समुचित प्रबंधन करना तथा इससे होने वाली आय, लाभ एवं ब्याज को प्राप्त करना एवं उस पर होने वाले व्यय व अन्य देनदारियों का भुगतान करना।
2. ट्रस्टीगण उन सभी अधिकारों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत होंगे जो उन्हें विशेष रूप से प्रदान किए गए हों तथा जो ट्रस्ट के सुचारु संचालन में उपयोगी एवं हित साध्य हो।
3. ट्रस्ट की ओर से बैंक एकाउण्ट खोलने तथा संचालित करने हेतु मैनेजिंग ट्रस्टी अथवा ज्वाइंट मैनेजिंग ट्रस्टी में से कोई एक अथवा दोनों ट्रस्टीगण द्वारा बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार अधिकृत होगा। ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी शिक्षण संस्थान अथवा अन्य संस्था का बैंक एकाउण्ट ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी, ज्वाइंट मैनेजिंग ट्रस्टी अथवा उस संस्था के प्रबंधक में से किसी एक के नाम से ट्रस्टीगण द्वारा बैठक में लिखे गए निर्णय के अनुसार खोला एवं संचालित किया जायेगा।
4. ट्रस्ट द्वारा अथवा ट्रस्ट के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में प्रस्तुत वादों की पैरवी, ट्रस्ट की सम्पत्ति के रख रखाव एवं स्वामित्व की सुरक्षा का उत्तरदायित्व ट्रस्टीगण का ही होगा, इस कार्य हेतु ट्रस्टीगण द्वारा मैनेजिंग ट्रस्टी, ज्वाइंट मैनेजिंग ट्रस्टी अथवा अन्य ट्रस्टीगण में से किसी एक या एक से अधिक को अधिकृत किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BY 391671

5. ट्रस्ट के ट्रस्टीगण इस ट्रस्ट डीड द्वारा प्रदत्त की गयी शक्तियों व उत्तरदायित्वों के निर्वहन के अतिरिक्त इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंतर्गत प्राविधानित उत्तरदायित्व के निर्वहन हेतु भी प्रतिबंधित होंगे।

6. ट्रस्टीगण को अपने विवेक से लिए गए सामूहिक निर्णय द्वारा ट्रस्ट की किसी भी अचल सम्पत्ति या सम्पत्तियों को जो उनके स्वत्वाधिकार में है, को विक्रीत करने एवं आवश्यक होने पर ट्रस्ट के पक्ष में किसी चल व अचल सम्पत्ति को क्रय करने का पूर्ण अधिकार होगा। प्रतिबंध यह है कि ट्रस्ट के कार्य संचालन की प्रक्रिया के अंतर्गत किए गए क्रय-विक्रय से यदि ट्रस्ट को कोई हानि होती है तो उसको ट्रस्ट द्वारा ही वहन किया जाएगा। साथ ही इस प्रकार किए गए प्रत्येक विक्रय से प्राप्त धनराशि को ट्रस्ट के बैंक खाते में जमा किया जाएगा तथा क्रय किए जाने के लिए भुगतान हेतु वांछित धनराशि को ट्रस्ट के बैंक खाते से ही आहरित किया जाएगा।

7. ट्रस्टीगण किसी भी समय ट्रस्ट से उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी भी भारतीय अथवा विदेशी व्यक्तिगण संस्था से स्वेच्छापूर्वक दिया गया दान, अंशदान, उपहार, मासिक/वार्षिक चंदा, डोनेशन आदि प्राप्त कर सकेंगे।

8. ट्रस्ट के समस्त लेखे एवं आय-व्यय का विवरण लेखा-अभिलेखों में अंकित किया जायेगा। ट्रस्टीगण द्वारा प्रतिवर्ष 31 मार्च तक की समस्त प्राप्तियों एवं भुगतान लेखे आय व्यय तथा बैलेंस शीट तैयार कराकर उसका किसी सुयोग्य चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट से ऑडिट कराया जाएगा।

9. ट्रस्टीगण द्वारा समय समय पर ट्रस्ट के कार्य संचालन हेतु कर्मचारियों तथा लेखा लिपिक, कार्यालय सहायक व अन्य कर्मचारियों की आवश्यकतानुसार नियुक्ति की जावेगी तथा उनके वेतन एवं भत्ते निर्धारित किये जायेंगे। ऐसे कर्मचारियों को दये वेतन एवं भत्ते ट्रस्ट के फण्ड से ही भुगतान किये जायेंगे।

10. ट्रस्टीगण समय समय पर अपने बहुमत से लिए गए निर्णयानुसार ट्रस्ट की किसी सम्पत्ति या उसके अंश को बंधक करके अथवा बॉण्ड, डिबेंचर रिसीट, प्रोमिजरी नोट अथवा प्रतिभूति सहित या प्रतिभूति रहित जैसा उचित समझें के द्वारा ट्रस्ट के लिए ऋण प्राप्त कर सकेंगे अथवा ऋण दे सकेंगे।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AX 148380

11. ट्रस्ट के सभी फन्ड आयकर अधिनियम की धारा 13 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रयुक्त यदि किन्हीं परिस्थितियों में ट्रस्ट को भंग अथवा समाप्त किया जाता है, तो उसकी समस्त परिसम्पत्तियाँ ट्रस्टीगण द्वारा लिए गए निर्णयानुसार या तो समान उद्देश्य वाले किसी अन्य ट्रस्ट, सोसाइटी अथवा संस्था को हस्तांतरित कर दी जायेगी अथवा ट्रस्टीगण में बाँट दी जायेगी।

अतएव हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता ट्रस्टीगण ने यह डीड आज दिनांक 18.03.2010 को तहरीर कर दी कि सनद रहे तथा वक्त जरूरत काम आवे व मसौदाकर्ता किशोर लेखक कलेक्ट्रेट मैनपुरी दिनांक 18.03.2010

किशोर

साक्षियों के हस्ताक्षर

1. रमाकान्त पुत्र श्री अंगद सिंह
   पृथ्वीपुर, किशनी मैनपुरी
2. नगेन्द्र सिंह वैनामा लेखक
   तहसील भोगांव, जिला– मैनपुरी

हस्ताक्षर ट्रस्टीगण

1. अभिलाख सिंह
2. श्रीमती प्रियंका यादव
3. श्रीमती पुष्पा देवी
4. श्री राम सिंह